न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार

आई0ए0एस0

प्र.सं. 30/2025 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

1.प्रेम पत्नि कल्याण

2.रामप्रताप पुत्र भोंरया

3.किशनलाल पुत्र भोंरया

4.रामकुवार पुत्र भोंरया

5.कैलाश पुत्र भोंरया

6.लल्ली पत्नि स्व0 रामनिवास

7.विजेन्द्र पुत्र रामनिवास

समस्त जाति मीना निवासी चक भगलाई तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

... प्रार्थीगण

बनाम

1. भगवानसहाय पुत्र श्रीया
2. रतन लाल पुत्र श्रीया
3. सोमोती पत्नि स्व0 रघुनाथ
4. गंगासहाय पुत्र रघुनाथ
5. लक्ष्मीनारायण पुत्र रघुनाथ
6. रामकेश पुत्र रघुनाथ

   समस्त जाति मीना निवासी चक भगलाई तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
7. रामोती पुत्री रघुनाथ पत्नि महेश जाति मीना निवासी खोदरीबा
8. रिवन्ता पुत्री रघुनाथ
9. अनिता पुत्री रघुनाथ

   समस्त जाति मीना निवासी मटवास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा हाल निवासी चक भगलाई तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
11. उप पंजीयक तहसील नांगल राजावतान
12. श्री यशवन्त कुमार मीना, वर्तमान पीठासीन अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा

.....अप्रार्थीगण

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र बउनवानी प्रकरण मु0 ज्याना आदि बनाम भगवानसहाय दावा अधिघोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व दुरुस्ती इन्द्राज मुकदमा नं0 4/2019, पुनः 8/2023 जो उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.4.2025 नियत है।

उपस्थित : 1. श्री अशोक कुमार जोशी, अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

3.श्री सतीश पारीक, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01से 02 की ओर से।

जिला कलेक्टर,दौसा

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar

Date: 2026.04.01 11:45:31 IST

Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::–

दिनांकः 04.03.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान में विचाराधीन वाद उनवानी मु0 ज्याना आदि बनाम भगवानसहाय दावा अधिघोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राज मुकदमा नं0 4/2019, पुनः 8/2023 को किसी भी दीगर उप जिला कलक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश कियागया है।
2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कियागया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान से बिन्दुवार टिप्पणी मंगवाई गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि उपरोक्त उनवानी वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान की न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.04.2025 नियत है। तथा उक्त प्रकरण में पूर्व में दिनांक 05.03.2025 उसके बाद 19.03.2025 उसके बाद 26.03.2025 तथा 02.04.2025 व अब 16.04.2025 तारीख नियत रही है। इससे स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी प्रकरण में नजदीक तारीख पेशी दे रहे है तथा प्रकरण का निस्तारण करने पर तुले हुये है क्योंकि पीठासीन अधिकारी से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा साज व मिलीभगत कर रखी है तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 2 को वर्तमान पीठासीन अधिकारी के आवास व चैंबर में मिलते जुलते देखा है व बातचीत करते हुये देखा है तथा अप्रार्थी संख्या 2 भी गांव में सरेआम कहते फिरता है कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गई है तथा पीठासीन अधिकारी हमारे ही पक्ष में शीघ्र से शीघ्र निर्णय करेंगे जिससे प्रार्थीगण को यह पूर्ण विश्वास है कि पीठासीन अधिकारी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य साज हो गया है व मिलीभगत हो गई है इसलिए पीठासीन अधिकारी नांगल राजावतान से प्रार्थीगण को न्याय की कतही कोई उम्मीद नहीं है । इसलिए निष्पक्ष निर्णय हेतु प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में निष्पक्ष सुनवाई व निर्णय हेतु स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ताकि प्रार्थीगण को न्याय मिल सके। उपरोक्त उनवानी वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान की न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.04.2025 नियत है । तथा उक्त प्रकरण में पूर्व में दिनांक 05.03.2025 उसके बाद 19.03.2025 उसके बाद 26.03.2025 तथा 02.04.2025 व अब 16.04.2025 तारीख नियत रही है। इससे स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी प्रकरण में नजदीक तारीख पेशी दे रहे है तथा प्रकरण का निस्तारण करने पर तुले हुये है क्योंकि पीठासीन अधिकारी से अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 6 द्वारा साज व मिलीभगत कर रखी है तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 2 को वर्तमान पीठासीन अधिकारी के आवास व चैंबर में मिलते जुलते देखा है व बातचीत करते हुये देखा है तथा अप्रार्थी संख्या 2 भी गांव में सरेआम कहते फिरता है कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गई है तथा पीठासीन अधिकारी हमारे ही पक्ष में शीघ्र से शीघ्र निर्णय करेंगे जिससे प्रार्थीगण को यह पूर्ण विश्वास है कि पीठासीन अधिकारी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य साज हो गया है व मिलीभगत हो गई है इसलिए पीठासीन अधिकारी नांगल राजावतान से प्रार्थीगण को न्याय की कतही कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए निष्पक्ष निर्णय हेतु प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में निष्पक्ष सुनवाई व निर्णय हेतु स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि प्रार्थीगण को न्याय मिल सके। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान की न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण मु० ज्याना आदि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:45:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

बनाम भगवानसहाय दावा अधिघोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राज मुकदमा नंबर 4/2019 पुनः 8/2023 को शीघ्र से शीघ्र अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई व निष्पक्ष निर्णय हेतु स्थानान्तरित फरमाने की कृपा करे।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 2 ने बहस में दलील दी कि प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में विलंब करने की गरज से यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पीठासीन अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान के द्वारा प्रकरण में विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके अनुसार चूकि प्रकरण अधिक पुराना है व श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के निरीक्षणों के दौरान भी पुराने प्रकरणों में नजदीक की तारीख पेशी दी जाकर दोनों पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर शीघग निर्णय करने के निर्देश समय–2 पर प्रदान किये जाते रहे है। माननीय सदस्य, राजस्व मंडल राज0 अजमेर के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.12.2019 में उक्त उनवानी प्रकरण का निस्तारण कर पालना चाही जा रही है। प्रार्थीगण को इस न्यायालय से न्याय की आशा नहीं है तो न्याय हित में पक्षकारान के हित एवं प्रकरण के निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया।

6. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थीगण का मुख्य कथन यह है कि उक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांगल राजावतान में लम्बित है तथा अगली तारीख 16.04.2025 नियत है। प्रार्थीगण का आरोप है कि पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) ने अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के साथ मिलीभगत कर ली है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 रतनलाल को उन्होंने पीठासीन अधिकारी के आवास एवं चेम्बर में आते–जाते देखा है तथा अप्रार्थी संख्या 2 गाँव में यह डींग हांकता है कि उपखण्ड अधिकारी उसके पक्ष में निर्णय करेंगे। प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि पीठासीन अधिकारी बार–बार नजदीकी तारीखें 05.03.2025, 19.03.2025, 26.03.2025, 02.04.2025, 16.04.2025 कृ दे रहे हैं और मामले को शीघ्र निपटाने पर आमादा हैं, जिससे प्रार्थीगण को न्याय मिलने की कोई आशा नहीं है। इस न्यायालय द्वारा पीठासीन अधिकारी श्री यशवन्त कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी, नांगल राजावतान से जवाब मांगा गया। पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 03.05.2025 को अपना पक्ष प्रस्तुत की जिसमें निम्नानुसार कथन किया गयाः यह स्वीकार किया कि उक्त वाद उनके न्यायालय में लम्बित है। प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये पक्षपात एवं मिलीभगत के आरोपों से इन्कार किया गया। नजदीकी तारीखों के सम्बन्ध में स्पष्ट किया कि यह प्रकरण पुराना है तथा राजस्व विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट माननीय सदस्य राजस्व मण्डल अजमेर श्री शिखर अग्रवाल की दिनांक 27.12.2019 की निरीक्षण आख्या में इस उनवानी वाद के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये गये हैं, अतः निर्देशानुसार नजदीकी तारीखें दी जा रही हैं। पीठासीन अधिकारी ने यह भी कहा कि यदि पक्षकार को इस न्यायालय से न्याय की आशा नहीं है तथा न्याय हित में पक्षकारों के हित और निस्तारण को ध्यान में रखते हुये यदि प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:45:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8\. विवेचना एवं निष्कर्षः इस न्यायालय ने प्रार्थीगण के स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र, पीठासीन अधिकारी की आख्या तथा समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर सम्यक् विचार किया। इस न्यायालय का विश्लेषण निम्नानुसार हैः

(अ) मिलीभगत के आरोपों की पुष्टि का अभावः प्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के साथ मिलीभगत का गम्भीर आरोप लगाया है। किन्तु इस आरोप के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य, दस्तावेजी प्रमाण अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। मात्र यह कथन कि अप्रार्थी संख्या 2 को पीठासीन अधिकारी के आवास एवं चेम्बर में आते—जाते देखा गया, अपने आप में मिलीभगत का पर्याप्त प्रमाण नहीं है। किसी भी न्यायालय में पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं का आना—जाना स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी प्रकार गाँव में डींग हांकने का कथन श्रवण साक्ष्य (Hearsay Evidence) की श्रेणी में आता है जो स्वयं में विश्वसनीय प्रमाण नहीं माना जा सकता।

(ब) नजदीकी तारीखें देना पक्षपात नहींः प्रार्थीगण ने नजदीकी तारीखों को पक्षपात का आधार बनाया है। यह तर्क विधि की दृष्टि से स्वीकार योग्य नहीं है। पीठासीन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह प्रकरण वर्ष 2019 से लम्बित है तथा माननीय सदस्य राजस्व मण्डल अजमेर की दिनांक 27.12.2019 की निरीक्षण आख्या में शीघ्र निस्तारण के निर्देश हैं। ऐसी स्थिति में नजदीकी तारीखें देना न्यायिक अनुशासन एवं सुशासन का परिचायक है, न कि पक्षपात का। वास्तव में लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण प्रत्येक न्यायिक/अर्ध—न्यायिक अधिकारी का कर्तव्य है।

(स) पीठासीन अधिकारी की अनापत्तिः महत्वपूर्ण बात यह है कि पीठासीन अधिकारी ने स्वयं स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि न्याय हित एवं पक्षकारों के हित में प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यह अनापत्ति इस बात की ओर संकेत करती है कि पीठासीन अधिकारी स्वयं यह मानते हैं कि प्रकरण का स्थानान्तरण न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं विश्वास बनाये रखने के लिये उचित हो सकता है।

(द) न्याय का दृश्यमान होना आवश्यकः यह एक सुस्थापित विधिक सिद्धान्त है कि "न्याय न केवल होना चाहिए, अपितु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए" (श्रनेजपबम उनेज दवज वदसल इम कवदम, इनज उनेज सेव इम`ममद जव इम कवदम)। प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप ठोस साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं हैं

(य) प्रकरण की प्राचीनताः यह प्रकरण मूलतः वर्ष 2019 से लम्बित है और लगभग 6 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। ऐसे पुराने प्रकरण में पक्षकारों को शीघ्र न्याय मिलना अत्यन्त आवश्यक है।

9\. उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, पीठासीन अधिकारी की आख्या, विधिक सिद्धान्तों एवं न्याय हित को दृष्टिगत रखते हुये यह न्यायालय स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र को खारिज करती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ उपखंड [illegible] को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति प[illegible]विष्ठ लेख भण्डार हो ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:45:31 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 04 मार्च , 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवंन्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:45:31 IST
Reason: SelfAttested